न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 31/2021
3. उनवान : बिरदीचन्द पुत्र श्री भूराराम, जाति कुमावत, निवासी ग्राम डूंगरसी का बास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. सीताराम पुत्र कानाराम, जाति कुमावत, निवासी ग्राम डूंगरसी का बास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

–अप्रार्थी

2. ग्राम पंचायत डूंगरसी का बास जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत डूंगरसी का बास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर

–तरतीबी अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 22.04.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री लालचन्द जाट प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
   स) पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।

निर्णय

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 एवं धारा 144 सीपीसी

प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय की निगरानी संख्या 02/2019 बउनवानी सीताराम बनाम ग्राम पंचायत डूंगरसी का बास व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29/01/2021 के सन्दर्भ में प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपरोक्त प्रकरण में निगरानी प्रार्थना पत्र पट्टा जारी करने के लगभग 20 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया, जिसका निगरानीकार सीताराम द्वारा कोई ठोस आधार अंकित नहीं किया गया तथा निगरानीकार ने स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में अंकित किया है कि "उक्त जारीशुदा पट्टे की आड में पिछले कई दिनों मे विपक्षी संख्या 2 ने कई बार कब्जा करने व पक्का निर्माण करने की कोशिश की।" जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे की निगरानीकार सीताराम को प्रारम्भ से ही जानकारी रही है और अप्रार्थी सीताराम द्वारा झूठे एवम् मनगढन्त तथ्यों पर गलत रूप से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पट्टाशुदा भूमि पर कदीमी कब्जा है तथा पक्का मकान बना है और प्रार्थी के पूर्वजो के समय से ही कब्जा होने के आधार पर ही पट्टा जारी किया गया था। जो एरर अपेरेन्ट ऑन द फेस ऑफ द रिकार्ड है। निगरानीकार सीताराम द्वारा निगरानी दिनाँक 22–2–2019 को पेश की गई, जिस पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, नोटिस तामील होने पर प्रार्थी दिनोंक 6–3–2019 को न्यायालय में हाजिर हो गया, उसके पश्चात् दिनांक 28–1–2021 को बहस सुनकर मेरिट्स पर निर्णय कर दिया गया। जबकि Covid 19 के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी और प्रार्थी वर्तमान हालात के कारण लगातार न्यायालय में उपस्थित नही हो पाया और ना ही निगरानी धारा 5 मयाद अधिनियम एवम् स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाव प्रस्तुत कर पाया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एवम् उच्चतम न्यायालय द्वारा एवम् राज्य सरकार द्वारा भी Covid 19 के कारण शिथिलता हेतु विभिन्न दिशा निर्देश जारी किये गये है जिन्हे अनदेखा कर प्रार्थी को जवाब का अवसर दिये बिना ही निगरानीकार के पक्ष में दिनांक 29–1–2021 को पारित किया गया निर्णय विधि सम्मत नहीं है तथा एरर अपेरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रिकार्ड है। निगरानीकार सीताराम द्वारा पट्टाशुदा भूमि पर कब्जे का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया। ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट मौके के अनुसार नहीं है। वास्तविकता में निगरानीकार सीताराम द्वारा नक्शे अनुसार ही अपने पिता श्री कानाराम कुमावत के पक्ष में जारी पट्टे को उप पंजीयक किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर के समक्ष दिनाँक 2–1–2019 को रजिस्टर्ड कराया है जिसमें भी उक्त नजरी नक्शे के अनुसार ही दक्षिण दिशा में सार्वजनिक आम चौक है

प्रतिरिक्त कलक्टर

और निगरानीकार सीताराम की भूमि पर आने जाने के लिए यह रास्ता ही उपयोग मे किया जाता है।

पट्टाशुदा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा है और इसके सम्बन्ध मे दिनाँक 13–5–2019 की ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट में लिखा है कि "इस मकान की पूर्व दिशा में बिरदीचन्द पुत्र भूरा एवम् धन्नालाल पुत्र भूरा जाति कुमावत का पट्टा शुदा भूमि पर तारबन्दी करके कब्जा किया हुआ है।" जिससे स्पष्ट है कि पट्टाशुदा भूमि प्रार्थी के कब्जे मे ही है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.12.1967 को ग्राम पंचायत हरसोली द्वारा उपरोक्त भूमि को निलामी में 4840 रूपये जमा कराकर प्राप्त किया था। प्रार्थी को मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनाँक 16–6–2021 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की पट्टे शुदा भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा suo moto writ petition (civil) no- 3 of 2020 IN RECOGNIZANCE FOR EXTENSION OF LIMITAION में निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोविड 19 के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की देरी को कण्डोन करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे।

अन्त में निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को रिव्यू करते हुए न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण खारिज फरमाया जावे ।

रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रिव्यू के साथ ही अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया।

अप्रार्थीगण को तलबी नोटिस जारी किय गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल कूडी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से सरकार पैरोकार पेश हुए। प्रकरण में मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2021 को बिना मूल रिकॉर्ड मंगवाए निर्णय पारित किया गया। Covid 19 के प्रोटोकाल के कारण प्रार्थी मूल निगरानी में न्यायालय में पेश नहीं हो सका। प्रार्थी के पास मूल पट्टे के अभाव में नये पट्टे हेतु ग्राम पंचायत में नियमानुसार आवेदन कर पट्टा प्राप्त किया। विधिक प्रक्रिया उपरान्त पट्टे जारी हो गये। जिसको निरस्त करने हेतु 2019 में न्यायालय में निगरानी पेश की गई। लगभग 20 वर्ष बाद पट्टे के निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत निगरानी धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत मेरिट पर ही खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.12.1967 को ग्राम पंचायत हरसोली द्वारा उपरोक्त भूमि को निलामी में 4840 रूपये जमा कराकर प्राप्त किया था। धारा 114 सीपीसी के नियम 47 अनुसार यदि न्यायालय में पक्षकार द्वारा नया तथ्य प्रस्तुत किया जाये तो न्यायालय द्वारा सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। तत्समय प्रार्थी के पास मूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण पट्टे हेतु पुनः आवेदन किया तथा दिनांक 11.08.2001 को पट्टा प्राप्त किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2021 को निर्णय पारित किया गया जिसके लगभग 06 माह बाद प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबकि प्रार्थी को हस्तगत निर्णय की जानकारी थी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत सुओमोटो ही न्यायालय में मेन्टनेबल नहीं है। पंचायत एक पट्टे पर पुनः पट्टा जारी नहीं कर सकती। न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही उपरान्त ही निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

सरकार पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि रिव्यू प्रार्थना पत्र 06 माह बाद प्रस्तुत किया जो धारा 5 का उल्लंघन होने के कारण मेरिट पर ही खारिज योग्य है। न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया एवं पक्षकारों की सुनवाई के उपरान्त ही निर्णय जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाये।

हम रिव्यूकर्ता के प्रार्थना पत्र, इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 29.01.2021, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने पर इस निष्कर्ष

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

पर पहुंचते हैं कि न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2021 को पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों के आधार पर पारित किया गया था। दिनांक 29.01.2021 को पारित निर्णय में कोई प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर त्रुटि या अन्य कोई सारभूत त्रुटि प्रतीत नहीं हो रही है। दिनांक 29.01.2021 को पारित निर्णय द्वारा पत्रावली ग्राम पंचायत डूंगरसी का बास को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया है, इसलिये उभयपक्षकारान के पास ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित होकर अपना विधिसम्मत् पक्ष रखने का अवसर है। प्रार्थी द्वारा पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र के साथ जो पट्टा 31.12.1967 प्रस्तुत किया है, प्रार्थीगण उक्त पट्टा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2021 को स्पीकींग निर्णय पारित किया गया था जिसमें नजरसानी द्वारा हस्तक्षेप या परिवर्तन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

2023 RBJ766 सजवारे खां बनाम सरकार में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पारित निर्णय में प्रतिपादित किया है "पुराने बिन्दुओं पर या मामूली गलतियों पर नजरसानी संधारण योग्य नहीं है।"

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर नजरसानी प्रार्थना पत्र साबित न होने पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज रजिस्टर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(प्रथम) जयपुर